सरदारमल बनाम भूमिधारी तहसीलदार।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थनापत्र 136 LR मु.नं. 23/2020
18-1-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-2-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12-3-21	उक्त कार्य पेशी होने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5-4-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5-4-21 330/RA 16-4-21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में पूर्व आदेशानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पुन: तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 29-4-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
8/7/2021	कोरोना महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में समस्त पत्रावलियों में इकजाई तारीख पेशीयाँ देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-8-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24-8-21	दिनांक 20-8-2021 को [illegible] अवकाश होने पर पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] वांछित जानकारी/रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3029/मु.अ./2021 दिनांक 10-8-2021 के द्वारा प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण —लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरदारमल बनाम श्रीमान तहसीलदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
डिक्लेरेशन 136 LR 5-1-23/2020	
मैं बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस व उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर निर्णय आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Rathore 24/08/21

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23 / 2020	2020 / 178	21.09.2020	24.08.2021

उनवान प्रकरण

सरदार मल पुत्र गोविन्दराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम होल्याकाबास कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

उपस्थित :–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1055, 1056, 1057, 1058 कुल किता 4 कुल रकबा 8.9900 हैक्टर में हिस्सा 1/60 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामसरदार पुत्र गोविन्दराम दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सरदारमल पुत्र गोविन्दराम है। जिसको दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि [illegible] खातेदारी भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 1055, 1056, 1057, 1058 कुल किता 4 कुल रकबा 8.9900 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

24/08/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...1/60 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामसरदार पुत्र गोविन्दराम दर्ज है जो गलत ...र्थी का वास्तविक नाम सरदारमल पुत्र गोविन्दराम है। जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 में ...करण संख्या 154/6.6.2011 जरिये विरासत से गोविन्दा पुत्र लखा हिस्सा 1/10 के ...पर सिणगारी पत्नि गोविन्दराम सूराराम अर्जूनराम सरदार पुत्रगण गोविन्दराम संजया ...पुत्रीयॉ गोविन्दराम हि.ब.हि. 1/10 जाति जाट के नाम स्वीकार होकर दर्ज हुआ। ...में प्रार्थी का नाम सरदार पुत्र गोविन्दराम ही दर्ज है परन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों ...गफलत व लापरवाही के कारण एंव ऑन लाईन कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी दर्ज करते समय ...परवाही से रामसरदार पुत्र गोविन्दराम दर्ज कर दिया गया है जिसे सरदार मल पुत्र ...विन्दराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं० 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3029/भू.अ./2021 दिनांक 10.8.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :-- ,

जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 44 में भूमि खसरा नम्बर 1055 से 1058 कुल किता 4 कुल रकबा 8.99 हैक्टर में रामसरदार पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/60 दर्ज रिकार्ड है। गोविन्दराम पुत्र लखा हिस्सा 1/10 की विरासत का नामान्तकरण संख्या 154 दिनांक 3.5.11 को दर्ज किया गया जिसमें सिणगारी पत्नि गोविन्दराम, सूराराम, अर्जूनराम, सरदार पुत्रगण गोविन्दराम , संन्ज्या नानछी पुत्रियॉ गोविन्दराम हि.ब.हि. 1/10 जाति जाट स्वीकार हुआ। ग्राम पंचायत कोटड़ी रिमारला द्वारा भी रामसरदार का सही नाम सरदार पुत्र गोविन्दराम होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राशन कार्ड व आधार कार्ड में भी सरदार पुत्र गोविन्दराम दर्ज है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर में रामसरदार पुत्र गोविन्दराम के बजाय सरदार पुत्र गोविन्दराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी की बहस ... सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहरा पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों ... प्रतीत होता है कि ग्राम होल्याकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 44 में भूमि

24/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 1055 से 1058 कुल किता 4 कुल रकबा 8.99 हैक्टर में रामसरदार पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/60 का नाम दर्ज रिकार्ड दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम होल्याकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 44 में भूमि खसरा नम्बर 1055 से 1058 कुल किता 4 कुल रकबा 8.99 हैक्टर की हिस्सा 1/60 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामसरदार पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर सरदारमल पुत्र गोविन्दराम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/08/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested